

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
जनपद-जौनपुर।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 22 फरवरी, 2013
(समादेश बन्धु)

विषय- समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में स्वीकृत परियोजनाओं के परियोजना मद की 14 प्रतिशत धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के पत्र संख्या-के 11013/19/2010/आईडब्ल्यूएमपी(यूपी) दिनांक 05.07.2012 से प्राप्त केन्द्रांश एवं शासनादेश संख्या-16/54-1-2012-8(23)/2011टीसी दिनांक 15.01.2013 द्वारा प्राप्त राज्यांश की प्रोजेक्ट मद (परियोजना मद) की कुल सम्मिलित धनराशि (कालम सं0-8 के अनुसार) को समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आपके पास निम्न विवरणानुसार इलाहाबाद बैंक, बापू भवन शाखा, लखनऊ, द्वारा आरटीजीएस/एनईएफटी के द्वारा आपको परियोजनावार कुल ₹ 86.63820 लाख (रुपया छियासी लाख तेरसठ हजार आठ सौ बीस मात्र) की धनराशि प्रेषित की जा रही है:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	जनपद/आईडब्ल्यूएमपी प्रोजेक्ट का नाम	केन्द्रांश की धनराशि	राज्यांश की धनराशि	योग	शासन स्तर पर रोकी गयी धनराशि (0.55%)	जनपद को प्रेषित धनराशि
1	2	4	5	6	7	8 (6-7)
1.	जौनपुर-II/2010-11	19.72080	2.19120	21.91200	1.82028	20.09172
2.	जौनपुर-III/2010-11	50.80320	5.64480	56.44800	2.52252	53.92548
3.	जौनपुर-IV/2010-11	12.32712	1.36968	13.69680	1.07580	12.62100
	योग	82.85112	9.20568	92.05680	5.41860	86.63820

इस धनराशि का आहरण एवं उपयोग निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :-

- 1- परियोजना मद की इस धनराशि का आहरण डब्ल्यूसीडीसी के अध्यक्ष एवं परियोजना प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा तथा लेखों का मिलान बैंक से नियमानुसार समय-समय पर कराया जायेगा।
- 2- परियोजना मद की धनराशि स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी को सूचित किये गये बैंक के परियोजना के बचत खातों में रखी जायेगी तथा व्यय स्वीकृत मदों में ही स्वीकृत सीमा तक सुसंगत वित्तीय नियमों/आदेशों के अनुसार किया जायेगा। इस धनराशि को किसी अन्य बैंक या किसी अन्य खातों में नहीं रखा जायेगा और न ही किसी प्रकार के सावधि जमा (अल्पकालीन/मध्यकालीन) खाते में रखा जायेगा।
- 3- धनराशि का आहरण एवं व्यय करते समय भारत सरकार द्वारा जारी कामन गाइड लाइन-2008 (संशोधित-2011) एवं समय-समय पर जारी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के खाता संचालन सम्बन्धी नियमों एवं निर्देशों का पालन किया जायेगा।

